<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :— 264 / 2012)

(संस्थित दिनांक :- 14 / 05 / 12)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— गोहद जिला—भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- 01. महेश उपाध्याय पुत्र हरनारायण उपाध्याय उम्र 54 वर्ष निवासी :— अर्जुन कॉलौनी गोहद, थाना—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)
- 02. प्रदीप उर्फ प्रवेश पुत्र भगवती प्रसाद उपाध्याय उम्र 24 वर्ष निवासी: - ग्राम धमसा, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
- 03. बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त व्यास पुत्र श्याम सुन्दर व्यास उम्र 26 वर्ष
- 04. पिन्टू उर्फ रॉबिन व्यास पुत्र श्याम सुन्दर व्यास उम्र 24 वर्ष निवासीगण :— वार्ड कमांक 06 सदर बाजार गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

...... अभुियक्त

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 08 / 11 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन पर भा.द.सं. की धारा 451, 323/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 17/03/2012 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी रेखा का घर स्थित सदर बाजार गोहद में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रेखा एवं उसके पुत्र चंचल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रेखा को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 17/03/2012 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी रेखा का घर स्थित सदर बाजार गोहद में, आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा के घर में प्रवेश करने, उसकी एवं उसके बेटे चंचल की मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रेखा व्यास द्वारा उसी दिनांक थाना गोहद पर की जाने पर थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/12 अन्तर्गत धारा 452, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं.

पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी रेखा व्यास, आहत चंचल व्यास, साक्षी देवेन्द्र व्यास एवं सुनील भटेले के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्तगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन के विरूद्ध धारा 451, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 17 / 03 / 2012 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी रेखा का घर स्थित सदर बाजार गोहद में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रेखा एवं चंचल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?
- 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी रेखा को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> <u>विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 लगायत 03</u>

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी रेखा व्यास अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके

न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05 / 05 / 2014 से लगभग दो वर्ष पहले की शाम 06 साढे 06 बजे के समय की थी। उस समय वह अपने घर पर खाना बना रही थी। साक्षी आगे कहती है कि आरोपी महेश और प्रदीप उसके घर पर आये तथा उनके पीछे बंटी और पिन्टू उसके घर के अन्दर वाले कमरे तक घुस आये तथा आरोपी महेश ने आकर उसका हाथ पकडा और आरोपी प्रदीप ने उसकी चप्पलों से मारपीट की। साक्षी आगे कहती है कि पिन्टू एवं बंटी डण्डा लेकर आये और उसकी डण्डों से मारपीट की। चारों लोगों ने उसकी लात-घुसों एवं डण्डों से मारपीट की थी। मारपीट से उसके दाहिने हाथ में, सिर में पेट में, पीठ में मूदी चोटें आई थी। साक्षी आगे कहती है कि उसका लडका चंचल व्यास बचाने के लिए आया तो चारों आरोपीगण ने उसकी भी डण्डों से और चप्पलों से मारपीट की तथा उसे जमीन पर भी पटक दिया था, जिससे उसके पेट में चोट आई थी। साक्षी आगे कहती है कि वह चीखीं-चिल्लाई तो उसके पति देवेन्द्र व्यास जो घर के कोने पर ही बाहर खड़े हुये थे तथा उनके साथ एक भटेले भी थे वो आये और उन्होंने हादसा होते हुये देखा। तत्पश्चात् वह गंभीर हालत में थाना में रिपोर्ट करने गई थी, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद अस्पताल में उसका एवं चंचल का ईलाज हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर आकर पड़ताल कर मेरा कथन लिया था। फरियादी रेखा व्यास अ.सा.01 के आरोपीगण द्वारा उसके घर में प्रवेश करने, उसकी एवं उसके पुत्र चंचल की मारपीट करने के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

प्रति–परीक्षण के पद कमांक 02 में रेखा अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से घरू बंटवारे के संबंध में विवाद चल रहा है। इसी प्रकार फरियादी के पुत्र चंचल अ.सा.02 ने प्रति—परीक्षण के पद कुमांक 12 में आरोपी अधिवक्ता के इस सूझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी बंटी व्यास की मारपीट के संबंध में मेरी मम्मी रेखा तथा पापा के विरूद्ध मामला कोर्ट में चल रहा है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके एवं आरोपीगण के मध्य मकान के बंटवारे के संबंध में विवाद चल रहा है। साक्षी देवेन्द्र अ.सा.03 ने उसके प्रति–परीक्षण के पद कमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से बंटवारे संबंधी विवाद चल रहा है। फरियादी रेखा अ.सा.०१, चचंल अ.सा.०२ एवं देवेन्द्र अ.सा.०३ की साक्ष्य में प्रकट हुये उक्त तथ्यों के संबंध में आरोपी अधिवक्ता का तर्क के दौरान कहना है कि उक्त विवाद की रंजिश के चलते फरियादी रेखा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट की गई थी। उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तथ्य है कि जिसके चलते यदि फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध झुठी रिपोर्ट करना संभाव्य है, वहीं आरोपीगण द्वारा रंजिश के चलते फरियादी के साथ मारपीट करने का तथ्य भी उतना ही संभाव्य है, इसलिए मात्र मकान संबंधी विवाद की रंजिश के आधार पर अभियोजन कथा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में रेखा अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह तथा आरोपीगण एक ही मकान में दुसरी मंजिल पर रहते है, लेकिन हम लोगों का आना-जाना अलग-अलग है। इसी प्रकार फरियादी के पुत्र चंचल व्यास अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में कहना है कि उसका एवं आरोपीगण का एक ही मकान है और उसके हिस्से तथा आरोपीगण के हिस्से के मध्य सिर्फ एक जीना है। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण एवं फरियादीगण एक ही मकान में पृथक—पृथक निवास करते है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा के भवन भाग में घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर प्रवेश आपराधिक अतिचार की कोटि में नहीं आता, क्योंकि आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा अ.सा.०१ के भवन में प्रवेश कर उसकी तथा उसके पुत्र चंचल की मारपीट का अपराध किया गया है। फरियादी रेखा अ.सा.01 एवं प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में रेखा अ.सा.01 का कहना है कि डण्डा एक आरोपी के पास था, या दो के पास था, यह उसे ध्यान नहीं है। उल्लेखनीय है कि मारपीट के वक्त आहत का पूरा ध्यान स्वयं के बचाने पर होता है, इसलिए यदि फरियादी रेखा अ. सा.01 को यह ध्यान नहीं है कि घटना के समय डण्डा एक आरोपी के पास था या दो के पास, तो इस विस्मृति से रेखा अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में रेखा अ.सा.01 का कहना है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पर पढ़कर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा एवं उसके पुत्र चचंल की मारपीट करने तथा आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा के घर में मारपीट करने के आशय से आपराधिक अतिचार करने के संबंध में रेखा अ.सा.०१ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति–परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है।

आहत / साक्षी चंचल व्यास अ.सा.०२ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि फरियादिया रेखा व्यास उसकी माँ है एवं देवेन्द्र व्यास उसके पिता है। घटना दिनांक : 17 / 03 / 2012 की शाम के 06 साढ़े 06 बजे के समय की है। वह उस समय अपने घर सदर बाजार गोहद में कमरे में था और टी.वी.देख रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसकी मॉ रेखा व्यास के चीखने–चिल्लाने की आवाज घर के दूसरे कमरे से आई तो उसने वहाँ जाकर देखा तो आरोपी महेश, प्रदीप, बंटी एवं पिन्टू उसकी मम्मी को डण्डे मार रहे थे। महेश एवं प्रदीप पर डण्डा था, जो डण्डों से मार रहे थे और लात-घूसों से मार रहे थे एवं जमीन पर पटककर मार रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने आरोपीगण से कहा कि क्या कर रहे हो तो चारों लोग उससे चिपट गये और उसकी लात-घूसों एवं डण्डों से मारने लगे, जिससे उसके दाहिने हाथ में, पैरों में चोटे आई, उसकी मम्मी के भी अंदरूनी चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसकी मम्मी चिल्लाई तो उसके पिता देवेन्द्र एवं सुनील भटेले जो रोड़ पर खड़े थे, ऊपर आ गये थे और बीच-बचाव किया था। आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो छोड दिया आइंदा जान से खत्म कर देंगें। आरोपीगण ने मारपीट घर के अन्दर घुसकर की थी, उसके बाद वह लोग थाने गये, जहाँ रिपोर्ट हुई एवं उनका मेडीकल हुआ था।

- 12. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 13 में चंचल अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके मम्मी पापा अर्थात् फरियादी रेखा अ.सा.01 एवं देवेन्द्र अ.सा.03 आरोपीगण को हिस्सा देना नहीं चाहते, इसलिए उन लोगों ने यह झूठा केस बनवाया है और वह आज झूठी गवाही दे रहा है। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा एवं उसके पुत्र चचंल की मारपीट करने तथा आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा के घर में मारपीट करने के आशय से आपराधिक अतिचार करने के संबंध में चंचल अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है।
- 13. साक्षी देवेन्द्र व्यास अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, सभी आरोपी उसके परिवार के होकर उसके रिश्तेदार लगते है। फरियादी रेखा व्यास उसकी पत्नी है और चंचल उसका लड़का है। घटना दिनांक: 17/03/2012 के शाम के 06 बजे की है। वह घटना के समय दुकान पर था, उसकी पत्नी एवं लड़का उपर थे। साक्षी आगे कहता है कि घटना वाले दिन आरोपीगण मकान पर आये और उन्होंने उसकी पत्नी रेखा और उसके लडके चंचल की मारपीट की। उसके बाद उसे चिल्लाने की आवाज आई तो वह वहाँ पहुँचा, जब वह उपर पहुँचा तब तक आरोपीगण भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी रेखा ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसे डण्डों से मारा था, लेकिन डण्डा से किसने मारा था, यह नहीं बताया था। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नी को थाना गोहद ले गया था, थाने पर उसकी पत्नी रेखा ने रिपोर्ट लिखवाई थी और इसके बाद उसकी पत्नी एवं उसके लड़के का मेडीकल थाने वालों ने करवाया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके लड़के की मारपीट की थी।
- 14. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में देवेन्द्र अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि झगड़े के समय वह दुकान के नीचे था, जब चिल्लाने की आवाज आई और वह मकान में उपर गया, तब तक आरोपीगण भाग गये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि लड़ाई—झगड़ा उसके सामने नहीं हुआ, उसे तो झगड़े के बारे में उसकी पत्नी रेखा व्यास ने उसे बताया था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रकट नहीं होता है, इसलिए देवेन्द्र अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।
- 15. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/03/2012 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद के आरक्षक क्रमांक 838 रिन्कू द्वारा लाये जाने पर आहत रेखा पत्नी देवेन्द्र व्यास निवासी गोहद का मेडीकल परीक्षण कर उसकी दाई अग्रभुजा पर 03 गुणा 02 से.मी. का नील का निशान था, सीने में दाई तरफ 04 गुणा 02 से.मी. का नील का निशान पाया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोटें किसी कड़े एवं

भौथुरी वस्तू से उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी, जिनकी प्रकृति साधारण थी। इस वावत उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उसी दिनांक को आहत चचंल पुत्र देवेन्द्र व्यास का परीक्षण करने पर उसकी दाई कोहनी पर 03 गुणा 02 से.मी. का नील का निशान था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोट किसी कड़े एवं भौथुरी वस्तू से उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी, जिनकी प्रकृति साधारण थी। इस वावत उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतगण को आई चोटें जीने से गिरने पर आना संभव है, परन्तु आरोपीगण द्वारा बचाव के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि फरियादी रेखा एवं आहत चंचल को उक्त चोटें जीने से गिरने पर आई हो। इस प्रकार डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.०५ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रति–परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखिण्डत रहा है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.०५ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि उसके द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 के तथ्यों से भी हो रही है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी रेखा अ.सा.०१ एवं चंचल अ.सा.०२ को दिनांक : 17/03/2012 को किसी कड़ी एवं भौथुरी वस्तु से चोटें कारित होने का तथ्य प्रमाणित होता है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.०५ के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से दिनांक : 17 / 03 / 2012 को चोटें कारित होने के संबंध में फरियादी रेखा अ.सा.01 तथा साक्षी चंचल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि होती है।

16. फरियादी रेखा अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जबिक साक्षी चंचल अ.सा.02 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया गया है कि आरोपीगण जाते समय यह कहकर गये थे कि आज तो छोड़ दिया आइंदा जान से खत्म कर देगें। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने के तथ्य के संबंध में फरियादी रेखा अ.सा.01 एवं उसके पुत्र चंचल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। इसी प्रकार फरियादी रेखा अ.सा. 01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में भी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख है, परन्तु रेखा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी रेखा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इस वावत् ऐसा लोप है, जो इस वावत् उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्य से विरोधाभाषी है। इसलिए घटना के समय आरोपीगण द्वारा फरियादी रेखा को जान से मारने की धमकी देने का तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता है।

17. अभियोजन साक्षी नानक चन्द्र यादव अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/03/2012 को पुलिस थाना गोहद में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 55 / 2012 अन्तर्गत धारा 451, 452, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की डायरी विवेचना हेत् प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 18/03/2012 को सुबह 09:30 बजे रेखा व्यास फरियादिया के बताये अनुसार घटनास्थल का नंक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी रेखा व्यास एवं चंचल व्यास के कथन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक : 03/04/2012 को सुनील भटेले एवं देवेन्द्र व्यास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक 02/05/2012 को आरोपी महेश, प्रदीप, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.06 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। साक्षी नानक चन्द्र यादव अ.सा.०४ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा अपराध क्रमांक 55 / 2012 की विवेचना किये जाने, उक्त विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाने, आरोपीगण को गिरफतार करने एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में प्रति–परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन ने दिनांक :— 17/03/2012 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी रेखा का घर स्थित सदर बाजार गोहद में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रेखा एवं उसके पुत्र चंचल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन ने दिनांक :— 17/03/2012 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी रेखा का घर स्थित सदर बाजार गोहद में, फरियादी रेखा को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन के विरूद्ध धारा 451 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपीगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन को धारा 451 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपीगण महेश उपाध्याय, प्रदीप उर्फ

प्रवेश, बंटी उर्फ ब्रम्हदत्त एवं पिन्टू उर्फ रॉबिन के विरूद्ध धारा 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

- 21. आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपीगण द्वारा किये गये कृत्य से दूसरों के घर में समूह बनाकर प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कर मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हैं। इसलिए आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ।
- 22. निर्णय दण्ड़ के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

- 23. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता का कहना है कि आरोपीगण कम पढ़े—लिखे, गरीब व्यक्ति हैं, यह आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण उनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति है, इसलिए आरोपीगण को मात्र न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्कों के सद्भाविक प्रतीत न होने के कारण सहमत नहीं है। फलतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 323/34 के आरोप के लिए 500—500 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भा.द.सं. की धारा 451 के आरोप के लिए 06 माह सश्रम कारावास एवं 100—100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि अदा न करने पर आरोपीगण को मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक 05—05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें।
- 24. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड़ भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।
- 25. आरोपीगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 26. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 2400/— रूपये फरियादी/आहत रेखा एवं चंचल व्यास को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद